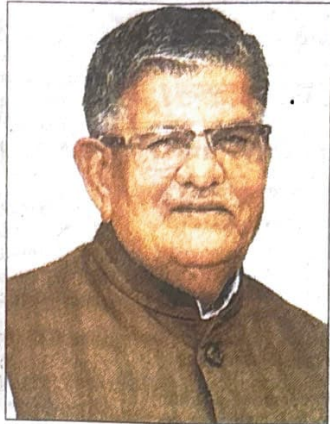




सत्यमेव जयते



गुलाब चंद कटारिया
पंजाब के राज्यपाल एवं
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक

संदेश

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सेवा का अधिकार अधिनियम अब पूर्ण रूप से यू.टी. चण्डीगढ़ में लागू हो गया है। इसका मतलब है कि लोगों के पास सरकारी विभागों से मिलने वाली सेवाएँ निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करने का अधिकार है, और यदि कोई सरकारी अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं करता/करती है, तो उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी चूक के लिए न केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

चण्डीगढ़ प्रशासन के 35 विभागों द्वारा प्रदान की जा रही कुल 556 सेवाओं को प्रशासन की अलग-अलग अधिसूचनाओं से अधिसूचित किया गया है, जिसमें सेवाएँ तथा नामित अधिकारियों का विवरण सम्मिलित है जो इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, तथा पहले और दूसरे स्तर पर अधिकार प्राप्त अपीलीय अधिकारी होंगे जिनके समक्ष नागरिक अपील दायर कर सकते हैं यदि दी गई सेवा समय सीमा के भीतर प्रदान नहीं की जाती है अथवा उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी है।

चण्डीगढ़ सेवा के अधिकार आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग पहले से ही सेवा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए गठित किया गया है। अधिनियम, नियम और उपर्युक्त अधिसूचनाओं का पूरा विवरण आयोग की वेबसाइट rtsc.chd.gov पर देखा जा सकता है।

सेवा के अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की पूछताछ अथवा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवाओं को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए जनता, मुख्य आयुक्त डा. महावीर सिंह, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) से ईमेल/फोन कॉल अथवा व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित पते पर जाकर सम्पर्क कर सकती है:

चण्डीगढ़ राईट टू सर्विस कमिशन

नगर योजना भवन, सी- विंग, मध्य मार्ग

सैक्टर 18-ए, चण्डीगढ़ 160018

फोन नं. 0172-5171500, 2700018

ईमेल : chd.rtsc@chd.nic.in | वेबसाइट: rtsc.chd.gov.in

मैं इस सिटी ब्यूटीफुल के नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे अपने सेवा के अधिकार अधिनियम का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति का लाभ उठाएँ।

हस्ता/-

(गुलाब चंद कटारिया)